

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरोही (राज.)  
बईजलास डॉ. भैवर. लाल, आई.ए.एस.

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र सं. 19/2021

प्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, आवूरोड जिला सिरोही।।

बनाम

अप्रार्थी

श्री मेगा पुत्र श्री रामा जाति गरासिया निवासी मुदरला तहसील आवूरोड(वर्तमान देलदर)  
जिला सिरोही।

राजस्व निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राज. भूराजस्व (कृषि  
प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970

उपस्थिति :-

1. पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही)

निर्णय

दिनांक 26.07.2023

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा यह आवेदन पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध पेश कर निवेदन किया गया कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आवूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरोही के खसरा नं. 94, 738/100, एवं 752/463 रकबा क्रमशः 1.15, 0.10 एवं 0.05 बीघ्रा किस्म बरानी-2, नहरी-2 एवं नहरी-2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आवूपर्वत के आदेश दिनांक 11.19.96 दिनांक 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आवूरोड द्वारा अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा के नाम से बतौर गैर-स्वीकृत दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, जिसे निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना-पत्र अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी ग्राम मुदरला में निवासरत नहीं होने से को इस न्यायालय द्वारा जारी नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुआ, जिस पर तहसीलदार देलदर द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/175 दिनांक 20.04.2022 द्वारा यह बताया गया कि अप्रार्थी ग्राम मानपुर में निवासरत है, जिससे प्रार्थी तहसीलदार आवूरोड को अप्रार्थी का सही पता प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, जिस पर प्रार्थी तहसीलदार आवूरोड द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/कोर्ट/2023/281 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा नाम से कोई भी व्यक्ति ग्राम मानपुर में निवासरत नहीं है, जिस पर अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा का नोटिस स्थानीय दैनिक अखबार राजस्थान पत्रिका के पाली संस्करण के पृष्ठ संख्या 09 पर दिनांक 12.02.2023 को प्रकाशित करवाया गया। उक्त प्रकाशन की 30 दिन की अवधि के पश्चात भी अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई। पूर्व में अप्रार्थी को जवाब हेतु कई अवसर पर नोटिस किए जा

जिला कलेक्टर, सिरोही




चुके थे। अतः इनका जवाब देने का अवसर बन्द किया गया एवं न ही अप्रार्थी द्वारा बहस हेतु नियत तिथि पर किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति दी गई। अतः अप्रार्थी अनुपस्थित होने से उसके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

प्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा निवेदन किया गया कि विवादित खसरा नं. 94, 738/100, एवं 752/463 रकबा क्रमशः 1.15, 0.10 एवं 0.05 बीघा किरम बरानी-2, नहरी-2 एवं नहरी-2 भूमि का आवंटन अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा को करने में आवंटन कमेटी द्वारा भारी एवं कानूनी भूल की है। आवंटन कमेटी द्वारा विवादित भूमि गैर खातेदारी पर दस वर्ष के लिए आवंटन की है। अप्रार्थी सद्भावी काश्तकार नहीं था। आवंटित भूमि पर उसका कब्जा नहीं है एवं काश्त भी नहीं की है, एवं आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आवंटन निरस्त किया जावे।

प्रार्थी पक्ष की एक पक्षीय सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि मौजा मुदरला, पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरौही के खसरा नं. 94, 738/100, एवं 752/463 रकबा क्रमशः 1.15, 0.10 एवं 0.05 बीघा किरम बरानी-2, नहरी-2 एवं नहरी-2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक 1196 दिनांक 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा को आवंटन की गई थी जिसका नामान्तरकरण तहसीलदार आबूरोड द्वारा अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा के नाम से बतौर गैर खातेदार दर्ज कर स्वीकृत किया गया। यह है कि पटवारी हल्का आमथला से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 18.12.2019 के अनुसार उक्त आवंटित आराजी पर अप्रार्थी श्री मेगा पुत्र श्री रामा का आवंटन तिथि से आज तक कब्जा नहीं है एवं मौके पर भूमि खाली पडी है। यह है कि अप्रार्थी के नाम राजस्थान भू-राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटन निरस्त करने का नियमों में प्रावधान है। विचारणीय प्रकरण में लम्बे समय से अप्रार्थी द्वारा आवंटित भूमि पर काश्त कर कब्जा नहीं किया है, नियम 14 (3) के तहत उसे प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत भाग एवं शेष क्षेत्र को दूसरे वर्ष में काश्त की जानी चाहिए थी। उसके पश्चात आवेदन करने पर कालावधि तहसीलदार द्वारा 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। विचारणीय प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा कब्जा कर काश्त किया जाना नहीं पाया जाता है। यह तथ्य पटवारी हल्का द्वारा की गई मौका रिपोर्ट अनुसार स्पष्ट प्रतीत होता है कि मौके पर कब्जा नहीं है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को किसी तरह की कोई राहत दी जाना विधि संगत नहीं होगा।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा मुदरला पटवार मण्डल आमथला, तह. आबूरोड(वर्तमान देलदर) जिला सिरौही के खसरा नं. 94, 738/100, एवं 752/463 रकबा क्रमशः 1.15, 0.10 एवं 0.05 बीघा किरम बरानी-2, नहरी-2 एवं नहरी-2 भूमि उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत के आदेश क्रमांक 1196 दिनांक 20.06.1978 द्वारा अप्रार्थी को आवंटन की गई है, उसे निरस्त किया जाता है।

निर्णय सर्वे इजलास सुनीया गया।



*Bella*  
(डॉ. भैवर लाल)  
जिला कलक्टर, सिरौही